रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2000/वैशाख 22, 1922

No. 266] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2000/VAISAKHA 22, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2000

सा.का.नि. 423(अ).—लोक ऋण नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से पैंतालीस दिवस की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं :

उक्त अवधि की समाप्ति से पहले प्रारूप नियमों के बारे में प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

कोई व्यक्ति, जो प्रारूप नियमों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, उसे ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेज सकेगा।

प्रारूप नियम

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक ऋण (संशोधन) नियम, 2000 है।

(ii) ये इनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक ऋण नियम, 1946 में,—

(i) नियम 7 के उप-नियम (6) में "किसी अनुसूचित बैंक की शाखा" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"या सरकार के परामर्श से बैंक द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति" ;

(ii) नियम 9 में,—

(i) उप नियम (2) में, "स्टाक पर स्टाक-ब्याज यदि कोई हो" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्टाक और बंधपत्र खाता लेखा—ब्याज, बंधपत्र खाता लेखा में धारित स्टाक और बंधपत्रों पर, यदि काई हो।"

[फा. सं. 4(5)-पीडी/98]

धीरेन्द्र स्वरूप, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2000

G. S. R. 423(E).—The following draft of certain rules further to amend the Public Debt Rules, 1946 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 28 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), is hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published are made available to the public ;

Any objection or suggestion which may be received with respect to the draft rules before the expiry of the said period will be considered by the Central Government ;

A person desiring to make any objection or suggestion in respect of the draft rules, may forward the same for consideration by the Central Government within the period specified above to the Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Public Debt (Amendment) Rules, 2000.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Public Debt Rules, 1946,

   (i) In rule 7, in sub-rule (6) after the words, any branch of a scheduled bank authorised by the Reserve Bank of India in this behalf, the following words shall be inserted; namely :—

   "or any other person notified in the Official Gazette by the Bank in consultation with the Government";

   (ii) In rule 9,

   (i) in sub-rule (2), for the words "Stock-Interest, if any on stock", the following words shall be substituted, namely :—

   "Stock and Bond Ledger Account-Interest, if any on stock and bonds held in Bond Ledger Account."

[F. No. 4(5)-PD/98]

D. SWAROOP, Jt. Secy. (Budget)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054